TIMES OF INDIA, Kochi, 17.10.2023
Page No. 5, Size:(6.85)cms X (13.37)cms.

Include mental illness in Centre's scheme: NHRC

Ambika Pandit
@timesgroup.com

New Delhi: The National Human Rights Commission in an advisory on mental health has recommended that in order to increase accessibility to treatment for mental disorders for financially disadvantaged populations, it is necessary to include mental illness in the Ayushman Bharat scheme of the Centre. The Commission has also recommended that insurance policies and schemes should include treatment of mental illnesses to increase accessibility and affordability.

In the covering letter along with the advisory addressed to the secretary of the Union ministry of health and family welfare, chief secretaries of the states and administrators of Union Territories, the Commission has said that the NHRC is deeply concerned about the implementation of the Mental Healthcare Act, 2017, on ground, and the challenges faced by the persons with mental illnesses and their families.

The NHRC has sought an action taken report (ATR) within two months on the progress made on implementation of the recommendations in the advisory issued on October 9.

The NHRC also recommended that more postgraduate seats be created in proportion to the requirements, including MD, MPhil., Ph.D in psychiatry and psychology and other diplomas, degrees and fellowships. It is also emphasised that as a separate subject, psychiatry be included in the undergraduate medical curriculum. "Every opportunity must be utilised to train doctors in basic psychiatry," it is stated. The advisory dwells in detail on measures required for the rehabilitation of patients.

Full report on www.toi-.in

NHRC advisory proposes inclusion of mental illness in 'Ayushman Bharat' scheme

https://timesofindia.indiatimes.com/india/nhrc-advisory-proposes-inclusion-of-mental-illness-in-ayushman-bharat-scheme/articleshow/104476238.cms?from=mdr

NEW DELHI: The National Human Rights Commission in an advisory on mental health has recommended that in order to increase accessibility to treatment for mental disorders for financially disadvantaged populations, it is necessary to include mental illness in the Ayushman Bharat scheme of the Centre. The Commission has also recommended that insurance policies and schemes should include treatment of mental illnesses to increase accessibility and affordability.
In the covering letter along with the advisory addressed to the secretary of the Union ministry of health and family welfare, chief secretaries of the states and administrators of Union Territories, the Commission has said that the NHRC is deeply concerned about the implementation of the Mental Healthcare Act, 2017, on ground, and the challenges faced by the persons with mental illnesses and their families.

The NHRC has sought an action taken report (ATR) within two months on the progress made on implementation of the recommendations in the advisory issued on October 9. The NHRC also recommended that more post graduate seats be created in proportion to the requirements, including MD, MPhil, PhD in Psychiatry and psychology and other diplomas, degrees and fellowships. It is also emphasised that as a separate subject, psychiatry be included in the undergraduate medical curriculum. “Every opportunity must be utilised to train doctors in basic psychiatry,” it is stated.

The advisory dwells in detail on measures required for the rehabilitation of patients. The authorities have been asked to expeditiously provide the halfway homes system, as mandated by law. However, the advisory cautions that “patients should not be retained in establishments even for a day after declaring fit for discharge.”

“Rehabilitation provisions for geriatric patients should be provided because many patients above 60 years remain in the hospital even after they have recovered,” it said.

Emphasising on accountability, the advisory asserts that all fatalities on the premises of a hospital, institution, shelter home, shared housing, rehabilitation home and halfway house must be reported to the local police within 24 hours and to NHRC within 48 hours

of the death. “Establishments should not be used as cover-up institutions to delay the trial,” the commission emphasises.

The NHRC also brings focus on a critical concern related to identity documents. “Camps may be organised in establishments to provide Aadhaar cards to patients and to update their details mandatorily. It has been observed that opening bank accounts and obtaining Aadhaar cards for patients who cannot recall their names is difficult,” the commission highlights. Consequently, they don’t get benefits from the government in the absence of bank accounts and Aadhaar cards. The commission has asked the authorities to address the problem decisively.

LG appoints retired HC judge as PCA chairperson

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/lg-appoints-retired-hc-judge-as-pca-chairperson/articleshow/104461774.cms?from=mdr

NEW DELHI: Lieutenant governor V K Saxena has approved appointment of Justice Poonam A Bamba, a retired high court judge, as the chairperson of Police Complaints Authority (PCA) that deals with complaints relating to Delhi Police.
The PCA has been set up to deal with the acts of serious misconduct against police personnel, either "suo motu" or on a complaint received from public. The complaints could be from a victim, National Human Rights Commission, or lieutenant governor or chief secretary or principal secretary (home), GNCTD. However, no anonymous and pseudonymous complaints are entertained, said Raj Niwas.

The name of Justice Bamba, who retired on August 2023, was forwarded as chairperson of the authority on the direction of chief justice of Delhi High Court. She willtake over from Justice P S Teji (retd) whose tenure ended in August 2023.
The 'serious misconduct' in complaint to the PCA means any act of commission or omission of a police officer that leads to or amounts to death, grievous hurt and rape or attempt to rape in police custody, arrest or detention without due to process of law, or extortion or land grabbing or any other incident involving serious abuse of authority.

The proposal for chairperson's appointment was submitted by the chief secretary and LG was informed that a separate proposal for appointment of members will beplaced before him.

Saxena had earlier approved constitution of a search committee for identifyingreplacement of all existing members and had requested the chief justice to recommend the name of a retired Delhi High Court judge forappointment of PCA chairperson.

The PCA of GNCTD is headed by the chairperson with three members, out of which one must be woman, and incase a woman is appointed as chairperson then it shall not be mandatory to have awoman member.

‘गरीबी हटाओ’ में गरीब हट गए, लेकिन गरीबी नहीं हटी

https://jantaserishta.com/national/in-garibi-hatao-the-poor-were-removed-but-poverty-was-not-removed-379110

दुनियाभर में फैली गरीबी के निराकरण के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने साल 1992 में हर साल 17 अक्टूबर को विश्व स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन एटीडी फोर्थ वर्ल्ड के संस्थापक जोसेफ रेसिंस्की की मृत्यु के चार साल बाद, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मनाने की घोषणा की। जोसेफ रेसिंस्की ने पेरिस में लगाये गये गरीबी उन्मूलन अभियान के मूल स्मारक पत्थर पर उत्कीर्ण पाठ में जहां भी पुरुषों और महिलाओं को अत्यधिक गरीबी में रहने की निंदा करते हुए इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन कहा और यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आना कि इन अधिकारों का सम्मान किया जाए, हमारा गंभीर कर्तव्य है।
गरीबी पहले भी अभिशाप थी लेकिन दुनिया में विकास की अमाप्य ऊंचाइयों को छूते हुए इस संकट का और अधिक गहराया जाना, चिन्तनीय एवं विडम्बनापूर्ण है। गरीबी केवल भारत की ही नहीं, बल्कि दुनिया की एक बड़ी समस्या है। गरीबी एक गंभीर बीमारी है, किसी भी देश के लिए गरीबी एक बदनुमा दाग है। जब किसी राष्ट्र के लोगों को रहने को मकान, जीवन निर्वाह के लिये जरूरी भोजन, कपड़े, दवाइयां आदि जैसी चीजों की कमी महसूस होती है, तो वह राष्ट्र गरीब राष्ट्र की श्रेणी में आता है। इस गरीबी से मुक्ति के लिये सरकारें व्यापक प्रयत्न करती हैं। हम जिन रास्तों पर चल कर एवं जिन योजनाओं को लागू करते हुए हम देश में समतामूलक संतुलित समाज निर्माण की आशा करते हैं वे योजनाएं विषम और विषभरी होने के कारण सभी कुछ अभिनय लगता है, छलावा लगता है, भ्रम एवं फरेब लगता है। सब नकली, धोखा, गोलमाल, विषमताभरा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोक राज्य, स्वराज्य, सुराज्य, रामराज्य के सुनहरे स्वप्न को आकार देते हुए स्वल्प समय में गरीबी के कलंक को मिटाने हेतु सार्थक प्रयत्न किये हैं। फिर भी गरीबी कायम है क्योंकि यहां तो सारे राजनीति दल एवं लोकतंत्र को हांकने वाले सब अपना-अपना साम्राज्य खड़ा करने में लगे हैं। विश्व की सारी संपदा, सारे संसाधन गरीबी को मिटाने में लगते तो आज स्थिति बहुत भिन्न होती, किन्तु बीच में सत्ता की लालसा एवं विश्व पर साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षाओं ने व्यवधान खड़े कर दिये। इसी कारण जो संपदा है, वह मानव को सुखी, संतुलित या सामान्य बनाने की दिशा में नहीं लगी, संहारक अस्त्रों के निर्माण, आतंकवाद एवं रूस-यूक्रेन, एवं इजरायल-हमास जैसे युद्धों में लगी है और लग रही है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को भयभीत रखने में अपनी ऊर्जा खपा रहा है, न कि गरीब इंसान की गरीबी दूर करने में।

आज का भौतिक दिमाग कहता है कि घर के बाहर और घर के अन्दर जो है, बस वही जीवन है। लेकिन राजनीतिक दिमाग मानता है कि जहां भी गरीब है, वही राजनीति के लिये जीवन है, क्योंकि राजनीति को उसी से जीवन ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि इस भारत में आजादी के अमृतकाल में पहुंचने के बाद भी गरीबी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, जितनी गरीबी बढ़ती है उतनी ही राजनीतिक जमीन मजबूती होती है। क्योंकि सत्ता पर काबिज होने का मार्ग गरीबी के रास्ते से ही आता है। बहुत बड़ी योजनाएं इसी गरीबी को खत्म करने के लिये बनती रही हैं और आज भी बन रही हैं। लेकिन गरीब खत्म होते गये और

गरीबी आज भी कायम है। सरकारी योजनाओं की विसंगतियां ही हैं कि गांवों में जीवन ठहर गया है। बीमार, अशिक्षित, विपन्न मनुष्य मानो अपने को ढो रहा है। शहर सीमेन्ट और सरियों का जंगल हो गया है। मशीन बने सब भाग रहे हैं। मालूम नहीं खुद आगे जाने के लिए या दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए। कह तो सभी यही रहे हैं–बाकी सब झूठ है, सच केवल रोटी है। रोटी केवल शब्द नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी परिभाषा समेटे हुए है अपने भीतर। जिसे आज का मनुष्य अपनी सुविधानुसार परिभाषित कर लेता है। रोटी कह रही है-मैं महंगी हूँ तू सस्ता है। यह मनुष्य का घोर अपमान है। रोटी कीमती, जीवन सस्ता। मनुष्य सस्ता, मनुष्यता सस्ती। और इस तरह गरीब को अपमानित किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा खतरा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस खतरे को महसूस किया, जबकि लोकतंत्र को हांकने वालों को इसे पहले महसूस करना चाहिए। गरीबी के अनेकों चेहरे हैं जो व्यक्ति, स्थान और समय के साथ बदलते रहते हैं। गरीबी ऐसी त्रासदी एवं दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जिसका कोई भी अनुभव नहीं करना चाहता। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि गरीबी कोई दैवीय अभिशाप नहीं है बल्कि यह मानवजाति द्वारा रचित सबसे बड़ी समस्या है। विश्व में सुरसा की तरह मुँह फैलाती हुई गरीबी शासनतंत्र की विफलता का भी द्योतक हैं। क्योंकि गरीबी से संबन्ध सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष की मासिक या सालाना आय से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी, देश की संस्कृति और सामाजिक संगठनों की उन्नति से भी है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, कमजोर कृषि, भ्रष्टाचार, रूढ़िवादी सोच, जातिवाद, अमीर-गरीब में ऊंच-नीच, नौकरी की कमी, अशिक्षा, बीमारी आदि हैं। विकसित राष्ट्रों में आबादी की बढ़त का अनुपात कम है और अविकसित एवं निर्धन राष्ट्रों में आबादी की बढ़त का अनुपात ज्यादा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि दरिद्रता दुःखतर है और उसके साथ जुड़ा दुःख है संतान का आधिक्य। दरिद्रता की पीड़ा और संतति के आधिक्य की पीड़ा- दोनों ओर से आदमी पीड़ित है। महान् दार्शनिक संत आचार्य महाप्रज्ञ ने महावीर का अर्थशास्त्र पुस्तक में गरीबी उन्मूलन की व्यापक चर्चा करते हुए उसे दूर करने के सार्थक एवं प्रभावी उपाय प्रस्तुत किये हैं।

सरकार की गलत नीतियों, खराब कृषि और बेरोजगारी की वजह से लोगों को भोजन की कमी से जूझना पड़ता है। यही कारण है की महंगाई ने भी पंख फैला रखे हैं। वहीं भारत में बढ़ती जनसंख्या भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। अधिक जनसंख्या मतलब अधिक भोजन, पैसा और घर की जरूरत। मूल सुविधाओं की कमी के कारण गरीबी ने तेजी से अपने पांव पसारे हैं। अत्यधिक अमीर और भयंकर गरीब ने अमीर और गरीब के बीच की खाई खोद रखी है। सरकार भी ऐसे ही लोगों को गरीब मानती है जिनकी वार्षिक आय सरकार के निर्धारित आंकड़ों से कम हो। लेकिन गरीबी केवल आर्थिक ही नहीं होती। दार्शनिक गरीब उसको मानता है जो भयभीत है, जो थक गया है, जो अपनी बात नहीं कह सकता। साधारण आदमी, झोंपड़ी में रहने वाले को गरीब और महल में रहने वाले को अमीर मानता है। खैर! यह सत्य है कि गरीब की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। तब गरीबी की रेखा क्या? क्यों है? गरीबी को खत्म करने में जो चीज सबसे अहम है वो है असमानता को दूर करना। अगर ऐसा नहीं होता है तो गरीबों के लिए विकास का कोई मतलब नहीं होगा।

एक आजाद मुल्क में, एक शोषणविहीन समाज में, एक समतावादी दृष्टिकोण में और एक कल्याणकारी समाजवादी व्यवस्था में यह गरीबी रेखा नहीं होनी चाहिए। यह रेखा उन कर्णधारों के लिए शर्म की रेखा है,

जिसको देखकर उन्हें शर्म आनी चाहिए। यहां प्रश्न है कि जो रोटी नहीं दे सके वह सरकार कैसी? जो अभय नहीं बना सके, वह व्यवस्था कैसी? जो इज्जत व स्नेह नहीं दे सके, वह समाज कैसा? जो शिष्य को अच्छे-बुरे का भेद न बता सके, वह गुरु कैसा? गांधी और विनोबा ने सबके उदय एवं गरीबी उन्मूलन के लिए 'सर्वोदय' की बात की गई। लेकिन राजनीतिज्ञों ने उसे निज्योदय बना दिया। जे. पी. ने जाति धर्म से राजनीति को बाहर निकालने के लिए 'संपूर्ण क्रांति' का नारा दिया। जो उनको दी गई श्रद्धांजलि के साथ ही समाप्त हो गया। 'गरीबी हटाओ' में गरीब हट गए। गरीबी उन्मूलन अभियान ने नया मोड़ लिया है कि जो गरीबी के नारे को जितना भुना सकते हैं, वे सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे समतामूलक एवं संतुलित समाज का सुनहरा स्वप्न साकार होगा? कैसे मोदीजी का नया भारत निर्मित होगा?

ट्रांसजेंडर्स को मिली गुडन्यूज, जॉब फॉर्म में 'थर्ड जेंडर' को दिल्ली सरकार ने किया शामिल

https://www.punjabkesari.com/delhi-ncr/transgenders-get-good-news-delhi-government-includes-third-gender-in-job-form/

राजधानी दिल्ली में अब कई राज्यों में ट्रांसजेंडरों को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दे कर उन्हें भी ससम्मान जीने का हक देने के साथ सरकारी नौकरी के लिए भर्ती की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। बता दें जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी अब इस दिशा में पहल की है।इसके लिए दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने ट्रांसजेंडरों को मुख्य धारा में शामिल करने और सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए विभिन्न उपायों को मंजूरी दी है।

ट्रांसजेंडरों के लिए भेदभाव विरोधी सेल स्थापित किया

आपको बता दें दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुछ कार्रवाई योग्य बिंदुओं को मंजूरी दी है, जिसे अमल में लाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।इसके अनुसार, ट्रांसजेंडरों के लिए हर जिला कार्यालय में एक भेदभाव विरोधी सेल स्थापित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सेल में 3 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम 1 महिला या ट्रांसजेंडर होना अनिवार्य है।

ट्रांसजेंडर के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह

दरअसल, महिला एवं बाल विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों को उन ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त आवेदक के दस्तावेजों को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं, जिनके मूल दस्तावेजों से फोटो या नाम अलग हैं।उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सलाह के बाद यह निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह को मंजूरी दी है।

डीपीएम खड़का ने प्रेस की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी

https://jantaserishta.com/world/dpm-khadka-prioritizes-press-freedom-380460

उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड़का ने आज कहा कि मौजूदा सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को उच्च प्राथमिकता दी है। फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट्स (एफएनजे), पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ऑफ नेपाल और नेपाल टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी द्वारा सह-आयोजित 'नेपाल में इंटरनेट और फर्जी सूचना: लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चुनौतियां' विषय पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए, मंत्री ने कहा। प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा और संवर्धन के लिए संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाएं की गई हैं।

"नेपाल के संविधान की प्रस्तावना में पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता का उल्लेख और मौलिक अधिकार के रूप में संचार और सूचना के अधिकार के प्रावधान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य ने प्रेस की स्वतंत्रता को अत्यधिक प्राथमिकता दी है। हमें इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए।" इन अधिकारों का कार्यान्वयन सही, संतुलित, निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से हो।"

उन्होंने संविधान में उल्लिखित प्रेस स्वतंत्रता की अवधारणा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कानूनी और राजनीतिक वातावरण बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

यह कहते हुए कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पत्रकारिता के मानदंडों, मूल्यों और सिद्धांतों के विपरीत सूचनाओं ने लोगों को सही जानकारी से वंचित कर दिया है, उन्होंने कहा कि सरकार इंटरनेट प्लेटफॉर्म को व्यवस्थित, सम्मानित, सुरक्षित और जीवन के लिए उपयोगी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नागरिकों की राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना।

"सरकार संविधान द्वारा निर्दिष्ट नागरिकों के अधिकारों के सही उपयोग के बारे में हमेशा जागरूक और सतर्क है। इसके लिए, मैं सरकार को एफएनजे सहित हितधारकों के साथ समन्वय और परामर्श में आवश्यक नीतियों और कानूनों को बनाने और संशोधित करने का आश्वासन देना चाहता हूं।" " उसने कहा।

यह उल्लेख करते हुए कि प्रेस की स्वतंत्रता तभी जीवित रहेगी जब लोकतंत्र जीवित रहेगा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंटरनेट के विस्तार के लिए एक लोकतांत्रिक वातावरण की आवश्यकता है। "लोकतंत्र के बिना किसी देश में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, न ही इंटरनेट का विस्तार गति पकड़ सकता है। नेपाल एक ऐसा देश है जिसने न केवल इंटरनेट द्वारा प्रदान किए गए अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि इंटरनेट को लोगों के जीवन से भी जोड़ा है। मौजूदा सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी यह नीति।"

उन्होंने कहा कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के विकास, आर्थिक परिवर्तन, लोगों के जीवन स्तर में सुधार और प्रेस की स्वतंत्रता की स्पष्टता और रचनात्मक अभ्यास के लिए आवश्यक नीतियां, कानून और योजनाएं बनाएगी।

इसी तरह, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि इंटरनेट ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसकी असीमितता ने चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। यह कहते हुए कि झूठी, गलत और भ्रमित करने वाली जानकारी सामाजिक और धार्मिक संघर्ष का कारण बनी है, उन्होंने कहा कि सही जानकारी और गलत जानकारी में अंतर करने में विफलता ने मामले को और खराब कर दिया है।

उन्होंने कहा, “झूठी सूचना ने नागरिकों के सही सूचना प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन किया है, सभी को झूठी सूचना को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। न केवल उपयोगकर्ताओं की झूठी और भ्रामक जानकारी ने मीडिया को प्रभावित किया है।”

यह कहते हुए कि पत्रकारों को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपना कर्तव्य गंभीरता से निभाना चाहिए, एफएनजे के पूर्व अध्यक्ष किशोर नेपाल ने लोगों के संघर्षों के माध्यम से प्राप्त उपलब्धियों को बहाल करने के लिए मीडिया को सक्रिय होने की आवश्यकता पर बल दिया।

इसी तरह, यह कहते हुए कि गलत सूचनाओं का प्रवाह बढ़ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत डीन आर. थॉम्पसन ने सभी विशेषज्ञों से यह जानने का आह्वान किया कि सही जानकारी क्या है।

Delhi News: दिल्ली में अब ट्रांसजेंडरों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी, आवेदन फॉर्म में शामिल होगा थर्ड जेंडर कैटेगरी

https://www.msn.com/hi-in/news/other/delhi-news-%E0%A4%A6-%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%82-%E0%A4%95-%E0%A4%AD-%E0%A4%AE-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95-%E0%A4%B0-%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%AB-%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B6-%E0%A4%AE-%E0%A4%B2-%E0%A4%B9-%E0%A4%97-%E0%A4%A5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%B0/ar-AA1ihh3z

Delhi Third Gender News: देश के कई राज्यों में ट्रांसजेंडरों (लिंग परिवर्तन) को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दे कर उन्हें भी ससम्मान जीने का हक देने के साथ सरकारी नौकरी के लिए भर्ती की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है. जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी अब इस दिशा में पहल की है. इसके लिए इसके लिए दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने ट्रांसजेंडरों को मुख्य धारा में शामिल करने और सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए विभिन्न उपायों को मंजूरी दी है. इसमें नौकरी के आवेदन पत्रों में थर्ड जेंडर कैटेगरी को शामिल करना और उन्हें दुर्व्यवहार से बचाने के लिए निगरानी सेल्स की स्थापना करना जैसे उपाय शामिल हैं.

दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुछ कार्रवाई योग्य बिंदुओं को मंजूरी दी है, जिसे अमल में लाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. इसके अनुसार, ट्रांसजेंडरों के लिए हर जिला कार्यालय में एक भेदभाव विरोधी सेल स्थापित किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि सेल में 3 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम 1 महिला या ट्रांसजेंडर होना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि प्रशासन शाखा नौकरियों में आगामी रिक्तियों के लिए पहचान श्रेणी के रूप में थर्ड जेंडर को शामिल करने के लिए उपयुक्त प्रावधान करेगी.

महिला और बाल विकास विभाग ने दिए ये निर्देश

महिला एवं बाल विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों को उन ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त आवेदक के दस्तावेजों को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं, जिनके मूल दस्तावेजों से फोटो या नाम अलग हैं. उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सलाह के बाद यह निर्देश जारी किए गए हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह

को मंजूरी दी है. इसमें सिफारिशों का एक सेट शामिल है जो ट्रांसजेंडरों के कल्याण और अधिकारों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है.